क्रम-संख्या—87

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11/लाई0—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 05 अप्रैल, 2006

चैत्र 15, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 361/सात-वि—1—01(क) 13-2006
लखनऊ, 05 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 26-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, 1958 की धारा 26 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:–

कतिपय अध्यापकों का विनियमितीकरण

"26–क इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये परिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना नियुक्त किया गया था, उसे बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक,–

(एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो;

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो;

(तीन) बोर्ड द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, वह ऐसे दिनांक को, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2004) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों को, जो 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में चयन समिति को निर्देश किये बिना नियुक्त किये गये थे, मौलिक रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये जा सकने की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कतिपय अल्पकालिक/अंशकालिक प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया था। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि 1958 के उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अल्पकालिक/अंशकालिक अध्यापकों को जिन्हें चयन समिति को निर्दिष्ट किये बिना दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया है, मौलिक नियुक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये जा सकने की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1958 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 361/VII-V-1-1(Ka) 13-2006
Dated Lucknow, April 05, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 04, 2006.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006

(U.P. Act no. 12 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

Insertion of section 26-A of U.P. Act no. 45 of 1958

2. *After* section 26 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 the following section shall be *inserted*, namely:–

Regularisations of certain teachers

"26-A. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or the statute made thereunder any teacher of the University who was appointed as lecturer/part time lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of a short term or part time arrangement in accordance with the provisions for the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Board, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available if such teacher—

(i) is serving as such on December 31, 1997 continuously since such initial appointment by way of short term/part time arrangement;

(ii) possesses the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant statutes in force on the date of the substantive appointment;

(iii) has been found suitable for regular appointment by the Board.

A teacher appointed by way of short term/part time arrangement as aforesaid who does not get a substantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Board may specify."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 was amended by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 23 of 2004) to provide for giving substantive appointment by the Executive Council to such teachers of the University as where appointed as short term/part time lecturers on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee subject to the availability of substantive vacancy. Certain such short term / part time lecturers were appointed under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958. With a view to maintaining uniformity in all types of University it has been decided to amend the said Act of 1958 to provide for giving substantive appointment by the Board to such teachers of the University as are appointed on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee subject to the availability of vacancy for appointment.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Sanshodhan Vidheyak, 2006 is introduced accordingly.

By order.

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 5 राजपत्र (हि0)–(10)–2006–597(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 2 सा० विधायी–(11)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।